

जिला न्यायालय

पृष्ठ 11, 709-200

जो वि. आ. कार. पत्र 69

नियम 236 देखिए)

उपस्थिति-पत्र (Citation to appear)

(देखो धारा 280 उ०प्र०ज०वि० और

म०व्य० ऐक्ट 1950 ई०)

पुनः-संख्या

सेवा

खर्चा

पसुनी

में

द्वारा

तथा

ही न

है कि

को

मेरे

के साथ

जारी

मुहर

हस्ताक्षर

तहसीलदार

आपको

समय

तो

लिए

के लिए

के लिए

के लिए

आ. इ. सी. ज. न. 0

22.09.20

की किस्त के हिसाब

रु० की बकाया धनराशि आपके

द्वारा देय है, इसलिए यदि आप पूरा बकाया

तथा इस उपस्थिति-पत्र का तलबाना शीघ्र

ही न चुका सके तो एतद्वारा यह अपेक्षित

है कि आप स्वयं दिनांक 03/12/20

को इस न्यायालय में उपस्थित हों।

मेरे द्वारा तथा इस न्यायालय की मुहर

के साथ आज दिनांक 26/11/20 को

जारी किया गया।

मुहर तहसील (सदर)

हस्ताक्षर तहसीलदार

आपको यह ज्ञात हो कि यदि आप उल्लिखित

समय और दिनांक पर उपस्थित नहीं होंगे

तो आपकी निरक्षरता तथा निरोधन के

लिए आपकी सम्पत्ति की कुर्की तथा नीलाम

के लिए अधिपत्र जारी हो सकता है।

के लिए अधिपत्र जारी हो सकता है।

के लिए अधिपत्र जारी हो सकता है।

के लिए अधिपत्र जारी हो सकता है।

के लिए अधिपत्र जारी हो सकता है।

9720104077.

HDFC ERGO General Insurance Company Limited

RECEIVED

26 NOV 2025

DEHIRADUN
Time: 12:08 Sign: